POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 19.12.2024

1. **थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा वादी को व्हाट्सएप पर जोड़कर शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 01 करोड़ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी/ठगी करने वाला 01 साइबर अपराधी गिरफ्तार।**

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **19/12/2024** को **थाना साइबर क्राइम नोएडा** पुलिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, वादी की सूचना,एवम पूछताछ, स्थानीय अभिसूचना एवं मुखबिर की गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 01 करोड़ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी/ ठगी करने वाले साइबर अपराधी राजु कैवट पुत्र कंदई लाल को **गिरफ्तार** किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी द्वारा दिनांक 22-10-2024 को थाना साइबर क्राइम में अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें वादी द्वारा बताया गया की अज्ञात साइबर अपराधी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से वादी से संपर्क किया गया और वादी को व्हाट्सएप पर जोड़कर शेयर मार्केट मे इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने का झांसा देकर 01 करोड़ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी/ ठगी की गयी जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पाया गया कि पकड़े गए अभियुक्त राजु कैवट के खाते में 25 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसके द्वारा अपने साथी मनी भाई निवासी हरियाणा से मिलकर मुंबई मे स्वयं के नाम पर फर्जी फर्म खोलकर 07-08 बैंको में खाते खोले गए हैं।

अभियोग में वादी के 14 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों मे फ्रीज कराये गए है जिनकी वापसी की कार्यवाही प्रचलित हैं।

उपरोक्त अभियुक्त के बैंक खातों से सम्बन्धित एनसीआरपी पोर्टल पर कुल 23 शिकायते(आंध्रप्रदेश-3, दिल्ली-1, झारखंड-3, कर्नाटक-1, मध्य प्रदेश-1, माहराष्ट- 3, राजस्थान-1, तमिलाडू-6 तैलंनगाना-1, उत्तर प्रदेश-3) का होना पाया गया है।

नोट- साइबर जागरूकता सुझाव बिन्दु --

1. इन्वेस्टमेट करने से पहले वेबसाइट एवं एप की प्रामाणिकता की जाँच अवश्य करें।
2. यदि संभव हो तो सदैव भारत सरकार के द्वारा अधिकृत तथा सेबी द्वारा निगरानी की जाने वाली शेयर मार्केट में ही निवेश करें।

3. यूट्यूब, गूगल ,फेसबुक,व्हाट्सअप लाइक कर धन कमाने या टास्क पूरा करने के नाम पर धन कमाने का ऑफर देने वाली फर्जी कॉल से बचें, धोखेबाज के बहकावे में आकर पैसा ट्रांसफर न करें।
4. साइबर से संबंधित किसी समस्या के लिए साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर 1930 अथवा साइबर क्राइम की वेव साइट www.cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करें।

2. थाना फेस-3 पुलिस द्वारा 20,000 रूपये का ईनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना फेस-3 पुलिस द्वारा बीट पुलिसिंग व गोपनीय व इलैक्ट्रानिक सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये **दिनांक 19.12.2024** को ईनामिया अभियुक्त रिजवान पुत्र यामीन नि0 बाम्बे कालोनी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद को मय एक अवैध चाकू के साथ गढी गोल चक्कर के पास खाली पडे ग्राउण्ड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त मु.अ.स. 428/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर थाना फेस-3 का 20,000 रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त है। अभियुक्त के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0स0 442/2024 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त एक संगठित गिरोह का सदस्य है। जो अपने गैंग के साथ मिलकर टॉवर के आरआरयू चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित कर अपने निजी स्वार्थ के लिए अवैध सम्पत्ति अर्जित करने जैसे गम्भीर अपराध कारित करता है। अभियुक्त द्वारा किये गये कृत्यो से इसका क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. रिजवान पुत्र यामीन नि0 बाम्बे कालोनी थाना नन्दग्राम जनपद गाजियाबाद

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास--

1. मु.अ.स. 126/24 धारा 414413/411 भादवि थाना फेस-3
2. मु.अ.स. 43/24 धारा 379 भादवि थाना फेस-3
3. मु.अ.स. 51/24 धारा 379 भादवि थाना फेस-3
4. मु.अ.स. 41/24 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-58
5. मु.अ.स. 428/24 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फेस-3
6. मु.अ.स. 442/24 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना फेस-3

बरामदगी का विवरण--

1. एक अवैध चाकू

3. थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा दुपहिया वाहन चोर गैंग के 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटरसाइकिल व 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस टीम द्वारा दिनांक **19.12.2024** को रायपुर पुश्ता रोड सेक्टर-126 नोएडा से संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान 02 मोटरसाइकिलों पर सवार 04 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर और एक जिन्दा कारतूस बरामद किया गया एवं अभियुक्तगण की निशादेही पर पुलिस ने रायपुर पुश्ता के पास झाड़ियों में छुपाई गई अन्य 07 मोटरसाइकिलों (कुल 09 मोटरसाइकिल) को बरामद किया गया। इन बरामद मोटरसाइकिलों में से कुछ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से चोरी की गई थीं।

पूछताछ का विवरण/अपराध का तरीका-- अभियुक्तगण से पूछताछ के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वे एनसीआर क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी करने की कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। अभियुक्तगण ने बताया कि वह खासकर उन स्थानों को लक्षित करते थे जहाँ वाहन पार्किंग में खड़े होते हैं या सड़क किनारे रात के समय अकेले छोड़ दिए जाते हैं। वह गाड़ी चुराने से पहले उस स्थान का निरीक्षण करते थे ताकि वहां सुरक्षा की कमी या कम ट्रैफिक होने का फायदा उठाया जा सके। अभियुक्तगण ने बताया कि वे हमेशा चोरी की मोटरसाइकिलों को अन्य शहरों में भेजने की योजना बनाते थे ताकि पकड़ में न आ सकें। वे इस कार्य में एक संगठित गैंग के रूप में काम करते थे जिसमें प्रत्येक सदस्य का एक विशेष कार्य था। कुछ सदस्य वाहनों का निरीक्षण करते थे जबकि अन्य सदस्य मोटरसाइकिल चुराने के बाद उन्हें छिपाने या बेचने का काम करते थे। यदि कोई उन्हें चोरी करते हुए देख लेता या पकड़ने की कोशिश करता तो वे तमंचे का भय दिखाकर फरार हो जाते थे ताकि कोई उन्हें रोकने की हिम्मत न कर सके। अब तक अभियुक्तगण ने लगभग 20 से अधिक मोटरसाइकिलों को चुराया था जिनमें से अधिकांश दिल्ली और नोएडा जैसे व्यस्त क्षेत्रों से चुराई गई थीं। चुराई गई मोटरसाइकिलों को वे किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाते थे और बाद में उन्हें अलग-अलग स्थानों पर बेच देते थे ताकि पहचान न हो सके। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने यह भी बताया कि वे मोटरसाइकिलों की चुराई से प्राप्त धन का उपयोग अन्य अवैध गतिविधियों में करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. संजय पुत्र गिरीराज निवासी डी 113 पंडितो का मोहल्ला ग्राम रायपुर सेक्टर-126 नोएडा उम्र 28 वर्ष
2. आदित्य पुत्र उमेश निवासी खजूर कालोनी ग्राम छलेरा सेक्टर-44 नोएडा उम्र करीब 19 वर्ष
3. कार्तिक पुत्र रामचन्द्र निवासी 3 एटीएम वाली गली के पास ग्राम रायपुर सेक्टर-126 नोएडा उम्र 19 वर्ष
4. सुमित पुत्र सुनील निवासी ग्राम निधौली थाना एटा हाल निवासी राज का होटल ग्राम रायपुर सेक्टर-126 नोएडा उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-0285/24 धारा 313(2)/317(5) बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम थाना सेक्टर-126 नोएडा
2. मु0अ0सं0-3055/24 थाना शाहीन बाग दिल्ली
3. ई एफआई आर नं0- 030774 क्राईम ब्रांच दिल्ली
4. मु0अ0सं0-29/16 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण--

1. मोटरसाईकिल रजि0 नं0- एचआर 24 एल 7183 स्पलेन्डर संबंधित मु0अ0सं0-3055/24 थाना शाहीन बाग दिल्ली
2. मोटरसाईकिल रजि नं0-एचआर 51 सीई 3369 हीरो एचएफ डीलक्स ब्लैक कलर संबंधित ई एफआई आर नं0 030774 क्राईम ब्रांच दिल्ली
3. मोटरसाईकिल रजि नं0 यूपी 81 बीएफ 9432 अपाचे आरटीआर ब्लैक कलर संबंधित मु0अ0सं0 29/16 थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर
4. मोटरसाईकिल रजि0 नं0-यूपी 87 यू 1592 स्प्लेण्डर प्लस
5. मोटरसाईकिल रजि0 नं0- यूपी 16 बीपी 7376 स्प्लेण्डर प्लस
6. मोटरसाईकिल रजि नं0-एचआर 51 एजैड 3426 स्पलेण्डर आई स्मार्ट
7. मोटरसाईकिल स्पलेण्डर प्लस ब्लैक कलर बिना नम्बर
8. मोटरसाईकिल रजि नं0-यूपी 13 बीएफ 6335 एचएफ डीलक्स
9. मोटरसाईकिल बिना नंबर प्लेट हीरो स्पलेण्डर ग्रे ब्लैक
10. एच तमंचा .315 बोर मय जिन्दा कारतूस .315 बोर